

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल
आवश्यक सूचना

इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार से प्रारंभ है। इस तारतम्य में रायगढ़ शहर अंतर्गत सभी दुर्गा पंडाल आयोजन समिति वालों से आग्रह है तथा सूचित किया जाता है कि माँ दुर्गा के पंडालों को विद्युत लाईनों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखकर स्थापित किया जावे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो, अवैध तरीके से लाईन खींचकर बिजली का उपयोग न करें तथा विद्युत कनेक्शन हेतु विधिवत् अस्थायी कनेक्शन अनिवार्यतः लेवें।

भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा (61) के तहत दिये गये सुरक्षित लाईन से दूरी बना कर रखे।

अतः विद्युत लाईन एवं उपकरणों से दूर रहें, अन्यथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति/दुर्घटना के लिये विद्युत कंपनी जबाबदार नहीं रहेगा।

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग
छ0 रा0 विद्युत मण्डल : रायगढ़

टीप : विद्युत बिलो का भुगतान समय पर करें ।
विद्युत की चोरी दण्डनीय अपराध है।

// स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा की बचत करें //